न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :— /

1. सुलोचना देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जीनरासर तह. सुजानगढ जिला चुरू हाल आबाद चक 1 एमडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

**बनाम**

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की विवादित आराजी चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 111/49 किला नंबर 18, 21 से 24 की 04.18 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि अपीलांट को जरिए दानपत्र प्राप्त हुई थी, लेकिन दान पत्र का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी द्वारा उक्त जमीन का इंतकाल अपीलांट के पति ओमप्रकाश के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिए इंतकाल संख्या 69 के खिलाफ अपील पेश कर अर्ज किया है कि उक्त जमीन को अपीलांट के नाम दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों दान पत्र संख्या 2014000032, 29.09.2014 और इंतकाल संख्या 69 पर गौर किया गया। उक्त दान पत्र में सुलोचना देवी पत्नी लक्ष्मणराम द्वारा विवादित आराजी का दान अपनी पुत्री सुलोचना देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जिंदासर के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस दान पत्र की बुनियाद पर तस्दीक किए गए इंतकाल संख्या 69 में विवादित आराजी ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण राम के नाम से दर्ज कर दी गई है।

उक्त साक्ष्यों के आधार पर अदालत को यह निर्णय है कि विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना उचित है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है की विवादित आराजी को अपीलांट के नाम दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक ................................. को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:48:18 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:48:18 IST
Reason: SelfAttested